

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- 02/02/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के विभिन्न 04 (चार) नर्सिंग संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 48,30,000/- (रूपये अड़तालीस लाख तीस हजार) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1017(1), दिनांक-30.11.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के विभिन्न 04 (चार) नर्सिंग संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 48,30,000/- (रूपये अड़तालीस लाख तीस हजार) मात्र (अनुलग्नक: 1 के अनुरूप) के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-105-एलोपैथी, उपशीर्ष-0029-नर्सिंग कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210-05-105-0029 अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (34-01) मद में उपबंधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित संस्थान के अधीक्षक/प्राचार्य होंगे एवं नियत्री पदाधिकारी, संबंधित प्रमडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार होंगे ।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि(2), दिनांक-17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-7/MCH -35-27/2025 के पृष्ठ-17.../टि० पर प्राप्त है ।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)
सरकार के अ

ज्ञापांक:- 7/MCH -35-27/2025-..... 49 (78) /स्वा0, पटना, दिनांक:- 02/02/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-संबंधित अधीक्षक/प्राचार्य-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
ATKANA

विभिन्न सरकारी नर्सिंग संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु आवंटित की जाने वाली राशि-

क्रम सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि (रूपये में)
1	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गयाजी	4,00,000
2	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर	24,30,000
3	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, एन०एम०सी०एच० पटना	10,00,000
4	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा	10,00,000
	कुल-	48,30,000

42(7B)
02/02/2026

(रूपये अड़तालीस लाख तीस हजार) मात्र

सरकार के अपर सचिव
Alpana

